

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18731-60

दिनांक:-05 फरवरी 2014

सम्बन्धित लेखाकार,

विषय:- लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति/अस्थाई आधार पर पदोन्नति हेतु लेखाकारों की वरिष्ठता सूची में वर्ष 2008-09 तक की डी.पी.सी. में पदोन्नत लेखाकारों के बच्चों की सूचना प्रेषित करने के क्रम में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 16108-10 दिनांक 24.09.13, पत्रांक 16185 दिनांक 26.09.2013 एवं पत्रांक 17543 दिनांक 28.10.2013

निम्नांकित लेखाकारों द्वारा उनकी संतान सम्बन्धी सूचना प्रेषित न किए के कारण उनकी लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति/अस्थाई आधार पर पदोन्नति नहीं की जा सकी है।

चयन वर्ष 2010-11 (पदोन्नति से)

क्र. स.	पात्रता क्रमांक	मेरिट / लिंक नम्बर	नाम लेखाकार सर्वश्री	वर्ग	31.5.02 तक संतान की स्थिति	1.6.02 एवं इसके बाद संतान की स्थिति	जन्मतिथि
1	657	5555	सुरेश कुमार राजोरा	टजा			04.10.66

चयन वर्ष 2013-14 (पदोन्नति से)

क्र. स.	पात्रता क्रमांक	मेरिट / लिंक नम्बर	नाम लेखाकार सर्वश्री	वर्ग	31.5.02 तक संतान की स्थिति	1.6.02 एवं इसके बाद संतान की स्थिति	जन्मतिथि
1	849	770	रमेश चन्द गुप्ता				07.03.57
2	859	773	राजेन्द्र प्रसाद				01.02.62
3	885	747	देवकरण बागडा				01.01.57

चयन वर्ष 2013-14 (तदर्थ पदोन्नति से)

क्र. स.	पात्रता क्रमांक	मेरिट / लिंक नम्बर	नाम लेखाकार सर्वश्री	वर्ग	31.5.02 तक संतान की स्थिति	1.6.02 एवं इसके बाद संतान की स्थिति	जन्मतिथि
1	77	215/83	फारुख मोहम्मद	-			01.08.59
2	88	615	भुवनेश्वर दयाल	-			14.03.56
3	118	2806	यशपाल मेहन्दीरता	-			07.09.60
4	223	662	भानुप्रताप सिंह	-			18.07.56
5	319	8622	गजेन्द्र कुमार	-			05.07.59
6	346	1669	महेश कुमार टेलर	-			08.09.58
7	363	553	अनिल कुमार जैन	-			10.07.60
8	408	8685	हरिपाल सिंह सोलंकी	-			21.01.57
9	648	3691	शम्भूदयाल घीया	-			01.07.64

10	668	4915	राजेश कुमार शर्मा	-			08.11.64
11	789	8423	जगदीश प्रसाद धोबी	SC			01.07.57
12	848	1908	हिमान्शु	SC			15.05.68
13	911	1929	रतन लाल	SC			07.05.64
14	1101	8602	गिरिराज प्रसाद मीणा	ST			05.02.62
15	1152	2677	प्रहलाद कुमार मीणा	ST			15.04.67

सम्बन्धित लेखाकार वांछित संतान सम्बन्धी सूचना संलग्न प्रपत्रानुसार तत्काल 03 दिवस में (डाक/ई-मेल/फैक्स द्वारा) भिजवावें। निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदोन्नति से वंचित रहने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्मिक की रहेगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

संलग्न- निर्धारित प्रपत्र


(क. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/18731-60 दिनांक:- 05 फरवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले में कार्यरत उपरोक्त लेखाकारों से संतान सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर इस विभाग को 03 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7 (1) (डी.ओ.पी.) क-2/95 दिनांक 20.05.2001 के क्रम में
कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली घोषणा

मैं पद कार्यालय
..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ
कि:-

7. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या थी।

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि

8. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।
या

दिनांक दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में
बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की कुल संख्या है।

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि

हस्ताक्षर

स्थान:-
दिनांक:-

नाम
पद
मेरिट संख्या/जन्म दिनांक

वर्तमान पदस्थापन
मोबाईल नम्बर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर के)